ऑन लाईन नं. RCMS 2021/300

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर0ए0एस0
अपील इंतकाल प्रकरण सं0 53/2021

1. राजरानी उर्फ राजकौर पुत्री हुकम सिंह पत्नी गुरदीप सिंह जाति अरोड़ा निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राजसिंह पुत्र श्री हुकम सिंह जाति अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. नक्षत्र सिंह पुत्र हुकम सिंह अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसवन्त सिंह पुत्र हुकम सिंह अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. पंकज सिंह पुत्र आत्मा सिंह अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. जसवीर कौर पुत्री आत्मा सिंह अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सीमा उर्फ इन्दु पुत्री आत्मा सिंह पत्नी विकास छाबडा निवासी नजदीक 886 अशोक नगर बी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपतहसीलदार चुनावढ।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 जो कि दिनांक 09.11.2021 को उप तहसीलदार चूनावढ के आदेश दिनांक 02.11.2021 प्रकरण संख्या 01/2021 प्रार्थना पत्र राज सिंह पुत्र हुकम सिंह पर स्व0 शांता बाई पत्नी हुकम सिंह की भूमि चक 16 जी छोटी के खाता सख्या 81/71, मुरब्बा नम्बर 40 के 6.200 हैक्टर के 1/4 हिस्सा का इंतकाल कथित वसीयतनामा दिनांक 07.10.1994 के आधार पर गलत तौर से मृतक व्यक्ति के हक में भी स्वीकृत करने का आदेश दिया गया बमुराद मनसूखियां इंतकाल व आदेश दिनांक 02.11.2021 तथा विरासत इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिये जाने।

उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश बतरा , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री बलकरण सिंह बराड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश

दिनांक :–04.07.2022

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 02.11.2021 जो कि इन्तकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 में मर्ज हो गया तथा इन्तकाल दिनांक 09.11.2021 को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया हर प्रकार से गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से निरस्तनीय है। इंतकाल जेर अपील स्व0 आत्मा सिंह पुत्र हुकम सिंह के हक में मृतक शांता बाई के 1/4 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा का तस्दीक किया गया है जबकि आत्म सिंह का देहांत काफी अरसा पूर्व ही हो चुका था। अतः मृतक व्यक्ति के हक में आदेश पारित किया गया है व मृतक के नाम ही आदेश तस्दीक किया गया है जबकि कानूनन ना तो किसी मृतक के हक में ना ही मृतक के ख़िलाफ कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अपीलांटा की माता द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से कभी कोई वसीयत नहीं की गई बल्कि उसके वृद्व होने व अस्वस्थ होने व अपीलांटा का अपने भाईयों के पास आना जाना ना होने का अनुचित लाभ उठाकर अपीलांटा के हिस्सा की भूमि को हड़पने की नियत से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

तथाकथित गलत वसीयत दिनांक 07.10.1994 करवायी गई तथा ऐसी तथाकथित वसीयत के आधार पर गलत तौर से इंतकाल की कार्यवाही की गई जबकि अपीलांटा ने ना केवल दिनांक 01.09.2021 को तहसीलदार को विरासत इंतकाल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी स्पष्ट तौर से दिनांक 15.09.2021 को भी लिखित में ऐतराज किया गया मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विचार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय को ना तो वसीयत के सम्बन्ध में जांच करने ना ही कार्यवाही करने व ना ही कोई आदेश पारित करने तथा ना ही इंतकाल करने का अधिकार था क्योंकि वसीयत की वैधता केवलमात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही देखी जा सकती है व तय की जा सकती है। अतः जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट हासिल नहीं किया जाता तब तक कानूनन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, अतः सिविल न्यायालय से प्रोबेट अथवा कथित वसीयत की वैधता के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जाने पर आदेश अथवा डिक्री जारी करने पर ही कार्यवाही की जा सकती थी मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य पर कोई गोर नहीं किया। जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में भी आत्म सिंह, नक्षत्र सिंह,जसवन्त सिंह,राजसिंह व शान्ति बाई के नाम भूमि हुकम सिंह के देहांत के बाद इन्तकाल संख्या 451 दिनांक 20.06.2020 के आधार पर दर्ज हुई है जिससे स्पष्ट है कि भूमि वास्तव में अपीलांटा के पिता हुकम सिंह की थी जिसमें अपीलांटा का जन्म से हक हिस्सा बनता था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य पर कोई गौर नहीं किया, अपीलांटा के पिता का देहांत दिनांक 13.03.1996 को ही हो गया था, वारिस प्रमाण पत्र की नकल शामिल है जिसमें भी अपीलांटा का नाम दर्ज है, मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल भी शामिल है जबकि तथाकथित वसीयत दिनांक 07.10.1994 की बतायी गई है। अतः शांता बाई को अपने पति के जीवनकाल में कानूनन कोई ना तो हक प्राप्त था ना ही वसीयत कर सकती थी। अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरोध दर्ज करवाया था जिस पर दिनांक 22.08.2021 को रिपोर्ट की गई व दिनांक 24.09.2021 को प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया, दिनांक11.10.2021 को आगे पेशी 25.10.2021 की गई व दिनांक 25.10.2021 को पेशी 02.11.2021 रखी गई। इस प्रकार अपीलांटा को आपत्ति दर्ज होने के कारण अपीलांटा को गवाह के बयान पर जिरह करने का अवसर देना चाहिए था मगर जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। कानूनन जिरह होने पर ही मामला के सही तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सकते है, इस प्रकार कथित वसीयत गवाह श्यामलाल के बयान जिरह के अभाव में कानूनन मानने योग्य नहीं थे कथित वसीयत के दूसरे गवाह जगदीश पुत्र छाजूराम की मृत्यू होना व मृत्यु प्रमाण पत्र पेश होने का कथन किया गया है मगर जगदीश पुत्र छाजूराम के कथित वसीयत पर गवाही के हस्ताक्षरों को उसके किसी वारिस के द्वारा पेश होकर सही होने का कोई कथन नहीं किया गया इस प्रकार जगदीश पुत्र छाजूराम के हस्ताक्षर प्रमाणित ना होने के कारण भी कथित वसीयत के आधार पर ना तो इंतकाल करने का आदेश दिया जा सकता था तथा ना ही इंतकाल किया जा सकता था। इंतकाल करने से पूर्व इंतकाल नियमों का पालन करना भी आवश्यक था दिनांक 02.11.2021 के आदेश के बाद दिनांक 08.11.2021 को इंतकाल चढाकर व दिनांक 09.11.2021 को मिलान करने का दर्ज कर इंतकाल को तस्दीक कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि कानूनी व विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गई जबकि विधिक प्रकिया के अनुसार इंतकाल दर्ज करने से पूर्व भी आपत्ति सूचना जारी करना आवश्यक था क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है तथा आपत्ति पेश कर सकता है ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई है जो कि कानूनन आवश्यक थी इस प्रकार इंतकाल जेर अपील इंतकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 जो कि केवल एक दिन में अर्थात 09.1.2021 को स्वीकृत कर दिया गया है स्पष्ट तौर से विधिक प्रकिया के अभाव में विधि विरूद्व होने से भी निरस्तनीय है। इंतकाल का आदेश करने की प्रकिया अलग है व इंतकाल तस्दीक करने की प्रकिया अलग है जब आत्म सिंह का देहांत दिनांक 02.11.2021 से पूर्व ही हो चुका था तो उसके वारिसान को भी नोटिस जारी किया जाता व सुनवाई की जाती मगर आदेश दिनांक 02.11.2021 में कहीं यह दर्ज नहीं किया गया कि आत्म सिंह के वारिसों को अथवा नक्षत्र सिंह व जसवंत सिंह को सुना गया है, इस प्रकार भी आदेश दिनांक 02.11.2021 व इसके आधार पर किया इंतकाल दिनांक 09.11.2021 स्पष्ट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

तौर से निरस्तनीय है। अपीलांटा तथाकथित वसीयत के अविधिक गलत अनड्यू इन्फलेंस में करवायी होने अथवा धोखे से करवायी होने के सम्बन्ध में रिकॉर्ड आने पर आवश्यक तथ्य न्यायालय के समक्ष लायेगी व अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी करेगी जिसके अधिकारों को सुरक्षित रखती है। रकबा कलेमेंट अलाट किया गया, इस प्रकार अपीलांटा का जन्म से इक हिस्सा बना क्योंकि उसके पूर्वजों की सम्पति जो पाकिस्तान में छोडी हुई थी की एवज में ही कलेमेंट अलाट किया गया, अर्थात भूमि जद्दी जायदाद होने से व अपीलांट का शुरू से इक होने से उसके हिस्सा की भूमि के सम्बन्ध में कानूनन कोई वसीयत नहीं की जा सकती थी, इस प्रकार अपीलांटा की माता को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था ना ही किसी पूर्व वसीयत को मान्यता दी जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.09.2021 को नोटिस क्रमांक 250 जारी किया गया जिसमें नीचे जारी करने की तारीख 24.10.2021 दर्ज है जबकि नोटिस दिनांक 11.10.2021 की पेशी के लिए जारी किया गया है तथा केवलमात्र रेस्पोडेंटस राजसिंह के नाम ही जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में कोई विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गई। दिनांक 03.09.1994 को वसीयत करने का दर्ज किया गया है जबकि 03.09.1994 को शांता बाई के नाम कोई रकबा ही दर्ज नहीं था तो कानूनन वसीयत नही की जा सकती थी। लिहाजा अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2021 का आदेश जो पारित किया गया है वह कानून के विपरीत पारित किया गया है चूंकि आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया इसलिए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का मौका नहीं दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
2. यह कि अपीलांट को पता चला कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर इन्तकाल करवाने की फिराक में है जो अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक ना किया जावें। विरासतन इन्तकाल तस्दीक किया जावें। इस प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा मृत्यु प्रार्थना पत्र जनाबन्दी एवं वारिसनामा साथ शामिल किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई कार्यवाही ना करके प्रार्थना पत्र रख लिया तथा मौखिक रूप से कहा कि आपके पास सूचना आ जाएगी मगर बिना अपीलांट को नोटिस जारी किए ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस दिनांक 24.10.2021 को जारी किया है जिसमें तारीख पेशी 11.10.2021 दर्ज है, यानिकी तारीख पहले थी नोटिस बाद में जारी किया गया तथा यह नोटिस किसको जारी किया गया यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायलय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
4. यह कि वाद दर्ज होने के बाद कार्यवाही सिविल प्रकिया के अनुसार की जाती है। वाद दर्ज होने के बाद आदेश 5 नियम 2 के तहत सम्मन जारी किए जाते है। सम्मन् की तामील ना होने पर आदेश 5 नियम 9(3) के तहत रजिस्ट्री द्वारा नोटिस जारी किया जाता है अगर उसमें भी तामील नहीं होती है तो आदेश 5 नियम 19,20 के तहत अखबार में साया किया जाता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी सिविल प्रकिया के प्रावधानों की पालना नहीं की। ना तो सम्मन् जारी किए, ना

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नोटिस जारी किया गया बिना नोटिस जारी किए ही सीधा अखबार में साया का आदेश पारित करके कानूनी भूल की है इसलिए भी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जो शान्ताबाई द्वारा तथाकथित वसीयत होना बता रहे है उसे साबित नहीं किया गया, चूंकि ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असल वसीयत पेश की गयी ना ही जिसके हक में वसीयत की गयी उनके ब्यान करवाये गये और ना ही प्रमाणित वसीयत पेश की गयी। केवल गवाह श्यामलाल के जो ब्यान किय गये, ना ही उसके द्वारा वसीयत को प्रदर्श करवाया, ना ही उसने अपने ब्यानों मे वसीयत के हस्ताक्षर व अंगूठा की पहचान की तथा नाही उसके ब्यान तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया, कहीं भी तहसीलदार के उसके नीचे हस्ताक्षर नही है जब वसीयत ही साबित नही है तथा ना ही अपीलांट को वसीयत के सम्बन्ध में जिरह करने का मौका नहीं दिया गया कि शान्ता बाई वसीयत करने की हकदार थी या नहीं। उसे वसीयत करने का कोई अधिकार था या नहीं था उसने स्वस्थचित्त वसीयत की या नहीं की, यदि अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाता तो अपीलांट साबित करता कि वसीयत कानूनन गलत है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है तथा निरस्त करने योग्य है।

6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इस आधार पर भी निरस्त करने योग्य है कि आत्मा सिंह की दिनांक 10.06.2017 को मृत्यु हो चुकी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के नाम दिनांक 02.11.2021 को आदेश पारित किया है। मृत्क व्यक्ति के ना तो हक में आदेश पारित किया जा सकता है, ना ही उसके खिलाफ आदेश पारित किया जा सकता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आत्मा सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल था तो कानूनन उसके उत्तराधिकारीयों को सुनकर ही आदेश पारित किया जा सकता था। न्यायालय ने ऐसा ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अदालत महतात का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा लिखित बहस व रूलिंग पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 02.11.2021 व इस आदेश की पालना में दर्ज इन्तकाल संख्या 485 दिनांक 09.11.2021 को निरस्त फरमाया जावें।प

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरे पेश कि :–

1. आर.आर.टी. 2017(2) पेज– 1104 से 1107

> चूंकि प्रकरण राहखातेदारी की भूमि के बटवारे बाबत् है। यदि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तो उसके हितों पर कुलाघात होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रकरण को मियाद के बिन्दु पर खारिज न कर गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिए था।

2. आर.आर.डी. 1994 पेज– 604 से 606
3. आर.आर.डी. 2013 पेज– 575 से 591
4. आर.आर.डी. 2004 पेज– 722 से 724
5. आर.आर.डी. 2007 पेज– 832 से 835
6. आर.आर.डी. 1998 पेज– 370 से 371

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

1. यह कि रेसपोडेन्टगण चक 16 जी सागरवाला के निवासी है।
2. यह कि प्रार्थीगण की माता श्रीमती शांताबाई पत्नी हुकम सिंह जाति अरोड़ा निवासी सागरवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक 16 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में 1/4 हिस्सा यानि 1.550 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पिता व 4 ता 6 के दादा हुकम सिंह का देहान्त दिनांक 13.03.1996 को हो चुका है और माता/दादी शांताबाई का देहान्त दिनांक 06.06.2020 को हो चुका है, जिनके अपीलांट व रेस्पोडेन्ट वारिसान है।

4. यह कि रेस्पोडेन्टगण शांताबाई की अच्छी तरह से देखभाल दवा दारू करते थे जिससे प्रसन्न होकर शांताबाई ने स्वस्थचित रहते हुए बिना किसी दबाव व अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने जीवनकाल में अपने चारों पुत्रों राजसिंह, नक्षत्र सिंह, आत्मा सिंह, ज़सवन्त सिंह के नाम सेा दिनांक 07.10.1994 को उप पंजीयक चूनावढ के समक्ष स्वयं पेश होकर गवाहन की उपस्थिति में रजिस्ट्रर्ड वसीयत पंजीबद्व अपने जीवनकाल में ही करवायी थी। वसीयत की प्रति शामिल पत्रावली है।

5. दिनांक 08.01.2021 को राजसिंह पुत्र हुकम सिंह द्वारा अपनी माता के वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत तहसीलदार श्रीगंगानगर को एक लिखित प्रार्थना पत्र वसीयत की प्रति सलंग्न करते हुए पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी जोधेवाला से रिकॉर्ड व मौका की जांच कर रिपोर्ट व भूमि पैतृक है या स्वअर्जित मंगवायी गयी जिस पर हल्का पटवारी जोधेवाला द्वारा दिनांक 27.08.2021 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उक्त उप तहसीलदार चूनावढ को भेजी गयी।

6. यह कि दिनांक 24.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण 01/2021 दर्ज कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 07.10.1994 वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र का अवलोकन व परसीलन कर वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो साक्ष्य हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने का निर्देश दिये गये।

7. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा समाचार पत्र सीमा किरण में दिनांक 26.09.2021 के अंक में विज्ञप्ति जारी करवायी गयी जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष 11.10.2021 को असल समाचार पत्र की प्रति पेश की गयी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2021 को वसीयत के गवाह श्याम लाल पुत्र चंबाराम के ब्यान लेखबद्व किये गये जबकि दूसरे गवाह जगदीश राम की दिनांक 26.10.2015 को मृत्यु हो चुकी है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र को पत्रावली पर लिया जा चुका है।

8. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत पत्रावली पर आयी समग्र साक्ष्य व सम्बन्धित दस्तावेजों का गहन अवलोकन कर दिनांक 02.11.2021 को वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जो पूर्ण रूप से विधिवत् है।

9. यह कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है कि "वसीयतकर्ता शांताबाई को कृषि भूमि आवंटन से प्राप्त हुई है जो स्वयं की अर्जित श्रेणी में आती है"।

10. यह कि " **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 हिन्दु नारी की सम्पति उसकी आत्यन्तिक अपनी सम्पति होगी। महिला हिन्दु की कोई भी सम्पति उसकी आत्यन्तिक सम्पति है और उसका उस पर पूर्ण स्वामित्व होता है**"। इस प्रकार महिला हिन्दु जरिये वसीयत अपनी चल व अचल सम्पति किसी को भी दे सकती है। उक्त प्रकरण में भी शांताबाई द्वारा की गयी वसीयत विधि की रोशनी में विधिक है।

11. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 में भी वसीयत की परिभाषा दी गयी है जिसके अनुसार कोई भी खातेदार अपनी कृषि भूमि में अपने हित को या हितांश को अपने पर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके वह अधीन है अन्तिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। इस अनुसार भी शांताबाई द्वारा की गयी वसीयत विधिक है।

12. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्टा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 जिसमें अपीलाण्टा द्वारा शांताबाई की मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल दर्ज का निवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार पूर्ण विचार करते हुए उसका प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 खारिज फरमाया गया है जो विधिनुसार सही है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

13. यह कि श्रीमान जी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 मे नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम बने हुए है धारा 15 की उपमद (1)निवसीयत मरने वाली हिन्दु नारी की सम्पति धारा 16 में दिये गये नियमों के अनुसार न्यागत होगी जबकि हस्तगत प्रकरण में शांताबाई द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने पुत्रों की सेवा से खुश होकर रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 07.10.1994 को उप पंजीयक चूनावढ के समक्ष हाजिर होकर करवायी गयी थी जो विधिवत् है और अधीनस्थ न्यायालय ने उसके आधार पर ही इंतकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 दर्ज किया जो विधिनुसार सही एवं उचित है।

14. यह कि अपीलाण्टा व अपीलाण्टा के परिवार द्वारा लालचवंश आकर अपीलाण्टा पर अपना प्रभाव बनाकर रेस्पोडेन्ट से पैसा वसूलने व मानसिक रूप से तंग व परेशान करने के लिए उक्त अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश की गयी है जो तथ्यों एवं कानूनी दृष्टि से खारिज होने योग्य है।

15. यह कि अपीलाण्टा द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 07.10.1994 को आज तक किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति नहीं दी गयी है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने की शाक्तियां सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

16. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व के आदेशत्मक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टा संव्यय खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 2.11.2021 इन्तकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 जो उप तहसीलदार चूनावढ के वसीयत प्रकरण संख्या 01/2021 अनवानी राज सिंह वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार चूनावढ द्वारा नोटिस को साया **"सीमा किरण दिनांक 26 सितम्बर 2021 में किया गया है"** परन्तु वसीयतकर्ता के वारिसान को जरिये नोटिस तलब नहीं किया गया है जो किया जाना चाहिए था क्योंकि अखबार किसी जगह पहुंचता है किसी जगह नहीं और कोई अखबार पढ़ता है और कोई नहीं भी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को वसीयतकर्ता के वारिसान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलांटा जोकि वसीयतकर्ता शांता बाई पत्नी हुकम सिंह की वारिस है जिसे न्यायहित में सुना जाना आवश्यक था जिसे सुना नहीं गया है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार चूनावढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति उप तहसीलदार चूनावढ को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्रीगंगानगर

यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

राजरानी उर्फ राजकौर बनाम राज सिंह वगैरा

अपील प्रकरण संख्या 53/2021

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता उपसिथत। रेस्पोडेन्ट ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अपील जनाबवाला के समक्ष इन्तकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 व दिनांक 09.11.2021 के खिलाफ प्रस्तुत की गयी थी। जो दर्ज रजिस्टर करके दोनो पक्षों को सुनने के बाद जनाबवाला की अदालत में दिनांक 04.07.2022 को अपील आशिंक रूप से स्वीकार करके मामला उप तहसीलदार चूनावढ़ को रिमाण्ड किया गया है, लेकिन सहवन से उप तहसीलदार का इन्तकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 को निरस्त लिखना सहवन से रह गया है, चूंकि जब मामला रिमाण्ड किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करके ही मामला रिमाण्ड किया जाता है लेकिन निर्णय में पूर्व का आदेश निरस्त किया जाता है ऐसा सहवन से रह गया है। रेस्पोडेन्ट (प्रार्थी) द्वारा दिनांक 07.07.2022 को नकल ली तो पता चला कि सहवन से पूर्व का आदेश निरस्त करना अंकित नहीं लिखा गया है जो लिखा जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजरानी बनाम राज सिंह अपील संख्या 53/2021 निर्णय दिनांक 04.07.2022 में संशोधन किया जावें ताकि रिमाण्ड की कार्यवाही हो सकें।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अनवानी अपील प्रकरण में आदेश दिनांक 04.07.2022 पारित करते समय निर्णय के अन्तिम पैरा में प्रकरण रिमाण्ड करते समय इन्तकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 व दिनांक 09.11.2021 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना अंकित किया जाना सहवन से लिखा जाना रह गया था। अतः आदेश दिनांक 04.07.2022 में संशोधन किया जाकर अंकित किया जाता है कि **इन्तकाल संख्या 485 दिनांक 08.11.2021 व दिनांक 09.11.2021 निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना अंकित किया जाना पढा जावें** । आदेश का अन्य भाग यथावत रहेगा। संशोधित आदेश दिनांक 08.07.2022 को सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर